

48210 वि०
29/03/22

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-48/2017-18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक
प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,60,000 सक्रिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना- Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो० 46.368 (छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रु० मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,60,000 सक्रिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो० 46.368 (छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रु० मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के पत्रांक F.No.J-2801212/1/2020-Fy (WU) दिनांक 30.09.2021 द्वारा संसूचित किया गया है कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही Group Accident Insurance Scheme को अब प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत Insurance of Fisher कम्पोनेंट में समाहित कर दिया गया है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/M&E/GAIS/2020-21 दिनांक 07.06.2021 के आलोक में PMMSY के तहत क्रियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार राज्य योजना से मो० 46,36,800/- (छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रु० मात्र व्यय किये जायेंगे। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/Tech 5/Fisheries Insurance/2018-19 दिनांक 03.09.2020 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य श्रेणी के हों।

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध	कुल बजट उपबंध	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	991.00	0.00	991.00	517.062	0.00	473.938
5	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	0.00	28.70	28.70	0.00	28.6902	0.0098
कुल राज्यांश		991.00	28.70	1019.70	517.062	28.6902	473.9478
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना							
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	550.00	0.00	550.00	125.069	0.00	674.407
कुल केन्द्रांश		550.00	0.00	550.00	125.069	0.00	674.407
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	366.00	0.00	366.00	83.379	0.00	282.621
8	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	0.00	5.95	5.95	0.00	5.9409	0.0091
कुल राज्यांश		366.00	5.95	371.95	83.379	5.9409	282.6301
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना							
9	01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050079677010109	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
10	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050079677010323	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
11	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	1500.00	0.00	1500.00	408.39	0.00	1091.61
कुल केन्द्रांश		1552.40	0.00	1552.40	408.39	0.00	1144.01
12	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	1035.00	0.00	1035.00	272.26	0.00	762.74
13	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	0.00	11.75	11.75	0.00	11.7369	0.0131
कुल राज्यांश		1035.00	11.75	1046.75	272.26	11.7369	762.7531
कुल योग :		5980.00	46.40	6026.40	2181.753	46.368	3337.748

कुल स्वीकृत राशि मो० छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रू० मात्र।

6. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा-

(क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को मो० 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू० एवं मो० 25,000/- (पच्चीस हजार) रू० तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।

34

107

"Insurance to Fishers" योजना NFDB के माध्यम से "Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)" -सह- "Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization" दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के रूप में लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं-

Policy	Description	Coverage	Premium
Policy 1	Group Janata Personal Accident Policy (GJPA) COVERING Death and Permanent Total Disability (PTD)	Death : 100% CSI PTD : 100% CSI	Rs. 68.44/- (GST Not Applicable)
Policy 2	Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability (PPD) and Hospitalization	PPD: Up to Rs. 2,50,000/- Hospitalization: Rs. 25,000/-	Rs. 4.00/- (Incl. of GST)
Total			Rs. 72.44/-

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत 60 % = 43.46 रु०
राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत 40 % = 28.98 रु०

(लामुकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)

कुल प्रीमियम का भार वहन निम्न प्रकार होगा-

(राशि रु० में)

क्रमांक	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान
1.	केन्द्र सरकार-60 % राज्य सरकार-40 %	1- GJPA 2- Special Contingency Policy	27.38 1.60	41.06 2.40
कुल			28.98	43.46

5. विभिन्न तीन लघु शीर्षवार तृतीय अनुपूरक आगणक के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

मॉग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (लाख रु० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध	कुल बजट उपबंध	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन							
1	01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050010177010109	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050010177010323	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	1450.00	0.00	1450.00	775.593	0.00	674.407
कुल केन्द्रांश		1485.60	0.00	1485.60	775.593	0.00	710.007

34/11/21

AT/21

(ग) प्रीमियम कवरेज प्रारंभ होने की तिथि तथा कवरेज अवधि, इस योजना की नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को संसूचित की जाएगी।

(घ) बीमा दावों के निस्तार हेतु NFDB में एक कोषांग का भी गठन किया गया है।

7. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त आवंटन के माध्यम से एक मुश्त राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करते हुए बैंक ड्राफ्ट/खाते के माध्यम से इस योजना की नोडल एजेंसी, NFDB के द्वारा निदेशित बैंक खाते में उपलब्ध करायेंगे। NFDB के पत्रांक NFDB/M&E/GAIS/2020-21 दिनांक 23.06.2021 द्वारा बैंक खाते का विवरण निम्न रूप से उपलब्ध कराया गया है-

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Bank	Union Bank of India
2)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
3)	Account Number	110311010000004
4)	Nature of the Account	Current
5)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
6)	IFSC	UBIN0811033
7)	MICR	500026096

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुघटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात् बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम में से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

10. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट-उपबंध के अंतर्गत है।

11. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

12. जिला मत्स्य कार्यालयों एवं प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

13. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्पलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

14. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक Component के रूप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

15. निदेशक, मत्स्य निदेशालय इस योजना पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee-SLAMC) का घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

16. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 48 570 (वि०) / मत्स्य / रॉची, दिनांक 29/03/22

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 48 570 (वि०) / मत्स्य / रॉची, दिनांक 29/03/22

प्रतिलिपि- निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/NFDB, हैदराबाद/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

372

48 रा. वि.
29/03/22

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग सं०-53-मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का प्रस्तावित भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रूपये में) लक्ष्य													
क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			राज्यांश	केन्द्रांश
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रौंची	1450	42021.00	63017.00	2800	81144.00	121688.00	2900	84042.00	126034.00	7150	207207.00	310739.00
2	खूँटी	600	17388.00	26076.00	1200	34776.00	52152.00	1400	40572.00	60844.00	3200	92736.00	139072.00
3	गुमला	1000	28980.00	43460.00	2500	72450.00	108650.00	3200	92736.00	139072.00	6700	194166.00	291182.00
4	सिमडेगा	800	23184.00	34768.00	2200	63756.00	95612.00	5600	162288.00	243376.00	8600	249228.00	373756.00
5	लोहरदगा	800	23184.00	34768.00	1800	52164.00	78228.00	6300	182574.00	273798.00	8900	257922.00	386794.00
6	लातेहार	900	26082.00	39114.00	2200	63756.00	95612.00	5200	150696.00	225992.00	8300	240534.00	360718.00
7	प० सिंहभूम	700	20286.00	30422.00	1350	39123.00	58671.00	1700	49266.00	73882.00	3750	108675.00	162975.00
8	पूर्वी सिंहभूम	500	14490.00	21730.00	800	23184.00	34768.00	1550	44919.00	67363.00	2850	82593.00	123861.00
9	सरायकेला	1100	31878.00	47806.00	2800	81144.00	121688.00	8050	233289.00	349853.00	11950	346311.00	519347.00
10	दुमका	1100	31878.00	47806.00	2050	59409.00	89093.00	5300	153594.00	230338.00	8450	244881.00	367237.00
11	जामताड़ा	1050	30429.00	45633.00	2200	63756.00	95612.00	2300	66654.00	99958.00	5550	160839.00	241203.00
12	साहेबगंज	1050	30429.00	45633.00	2400	69552.00	104304.00	2300	66654.00	99958.00	5750	166635.00	249895.00
13	पाकुड़	700	20286.00	30422.00	1400	40572.00	60844.00	4100	118818.00	178186.00	6200	179676.00	269452.00
14	हजारीबाग	1050	30429.00	45633.00	1700	49266.00	73882.00	4600	133308.00	199916.00	7350	213003.00	319431.00
15	रामगढ़	600	17388.00	26076.00	900	26082.00	39114.00	5300	153594.00	230338.00	6800	197064.00	295528.00
16	कोडरमा	900	26082.00	39114.00	1200	34776.00	52152.00	2000	57960.00	86920.00	4100	118818.00	178186.00
17	चतरा	600	17388.00	26076.00	900	26082.00	39114.00	4700	136206.00	204262.00	6200	179676.00	269452.00
18	बोकारो	800	23184.00	34768.00	1100	31878.00	47806.00	1700	49266.00	73882.00	3600	104328.00	156456.00
19	गिरिडीह	600	17388.00	26076.00	1100	31878.00	47806.00	6200	179676.00	269452.00	7900	228942.00	343334.00
20	धनबाद	850	24633.00	36941.00	1700	49266.00	73882.00	4000	115920.00	173840.00	6550	189819.00	284663.00
21	गोड्डा	550	15939.00	23903.00	1200	34776.00	52152.00	4200	121716.00	182532.00	5950	172431.00	258587.00
22	पलामू	850	24633.00	36941.00	1600	46368.00	69536.00	3000	86940.00	130380.00	5450	157941.00	236857.00
23	गढ़वा	650	18837.00	28249.00	1400	40572.00	60844.00	5350	155043.00	232511.00	7400	214452.00	321604.00
24	देवघर	1300	37674.00	56498.00	2000	57960.00	86920.00	8050	233289.00	349853.00	11350	328923.00	493271.00
योग:		20500	594090.00	890930.00	40500	1173690.00	1760130.00	99000	2869020.00	4302540.00	160000	4636800.00	6953600.00

राज्यांश कुल मा० 46.368 लाख (छियालीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रु० मात्र।

Handwritten signature

Handwritten signature

(अबुबकर सिद्दीकी पी०)
सरकार के सचिव

Handwritten notes